



दिनांक 14.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 524 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना चकेरी

- चोरी की घटना का अनावरण
- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 15 किलो 140 ग्राम चाँदी पाउडर फोर्म बरामद

दिनांक 14.10.2026 को थाना चकेरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामादेवी रैम्प से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर से 02 अभियुक्तों 1-विकास 2-बसंतलाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 किलो 140 ग्राम चाँदी पाउडर फोर्म बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.10.2026 को थाना चकेरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चाँदी पाउडर फोर्म चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चकेरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-विकास निवासी पूरे अजिया थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
- 2-बसंतलाल निवासी पूरे अजिया थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

- 1-चोरी के 15 किलो 140 ग्राम चाँदी पाउडर फोर्म।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 01 क्रेटा कार, 03 रॉयल इन्फील्ड बुलेट मोटर साइकिल
- 04 फर्जी नम्बर प्लेट
- 02 मास्टरकी आदि बरामद

दिनांक 13.10.2026 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त आबिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/

निशादेही से चोरी की 01 क्रेटा कार, 03 रॉयल इन्फील्ड बुलेट मोटर साइकिल, 04 फर्जी नम्बर प्लेट, 02 मास्टरकी आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आबिद निवासी ग्राम पंजी सराय थाना नौगांवा देहात जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 क्रेटा कार, 03 रॉयल इन्फील्ड बुलेट मोटर साइकिल।

2—04 फर्जी नम्बर प्लेट।

3—02 मास्टरकी आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 01 करोड़ रुपये (कीमत) की 165 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा
- घटना में प्रयुक्त ट्रक
- 01 कार
- 04 मोबाइल फोन
- 1980/—रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 14.10.2026 को थाना बादलपुर व एंटी नारकोटिक्स की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूड़ी खेड़ा मोड़ के पास, दादरी से लालकुआँ की ओर जाने वाली सड़क से 03 अभियुक्तों 1—दिनेश 2—समीर 3—रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रुपये (कीमत) की 165 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त ट्रक, 01 कार, 04 मोबाइल फोन, 1980/—रुपये नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी संजय कालोनी, भाटी माइंस थाना फतेहपुर बेरी जनपद दक्षिण दिल्ली मूल निवासी रतवार थाना भभुआ जनपद तैमूर, बिहार।

2—समीर निवासी शिश महल पार्क, शालीमार गांव थाना शालीमार जनपद उत्तर पश्चिम दिल्ली मूल निवासी ग्राम टेगडा थाना हवेली खडगपुर जनपद मुंगेर, बिहार।

3—रवि कुमार निवासी ग्राम केरया डीह थाना कुढनी जनपद मुजफ्फरनगर, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रुपये (कीमत) की 165 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त ट्रक।

3—01 कार।

4—04 मोबाइल फोन।

5—1980 /—रुपये नगद आदि।

➤ जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15—15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—अमित को धारा 302 सपठित धारा 120बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—तेजबहादुर उर्फ टिकल को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हमीरपुर/थाना बिंवार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20/03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना बिंवार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—हीरालाल को धारा 363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—मंतोष कुमार को धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 14.10.2026

प्रेस विज्ञापित 525 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत जनपद मेरठ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा पति की हत्या कर शव छिपाने के अभियोग में 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित जघन्य अपराधों में मा० न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु निरंतर और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ के निर्देशन में थाना ब्रह्मपुरी पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.10.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे), जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्तगण साहिल शुक्ला एवं मुस्कान को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.03.2025 को थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मुस्कान पत्नी सौरभ द्वारा साहिल शुक्ला पुत्र नीरज शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर शव छिपाने के संबंध में थाना ब्रह्मपुरी पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 103(1)/238(a) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री रमाकान्त पचौरी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ द्वारा सम्पादित की गयी। अभियोग में अभियुक्तगण साहिल शुक्ला एवं मुस्कान को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर मृतक सौरभ के शव को नीले ड्रम में सीमेंट के अन्दर से बरामद किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में थाना ब्रह्मपुरी पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार एवं अभियोजन द्वारा साक्षियों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराते हुए लगातार सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.10.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे), जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्तगण साहिल शुक्ला एवं मुस्कान को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. साहिल शुक्ला पुत्र नीरज शुक्ला निवासी रंजन वाली गली ब्रह्मपुरी थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ।
2. मुस्कान पत्नी सौरभ निवासी ब्रह्मपुरी थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ।

सजा का विवरण-

अभियुक्तगण साहिल शुक्ला एवं मुस्कान को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे), जनपद मेरठ द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।